

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : 27 जून, 2018

विषय: श्री निर्मल कुमार लोहिया पुत्र श्री प्रेम राम, निवासी ग्राम व पोस्ट जाजरदेवल, तहसील व जनपद पिथौरागढ़ को जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडिहाट के ग्राम डोडा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.466 है० नाप भूमि में स्वीकृत उपखनिज के खनन पट्टे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36/तीस-08/उप०ख०पट्टा/(2012-13), दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री निर्मल कुमार लोहिया, ग्राम व पोस्ट जाजरदेवल, तहसील व जनपद पिथौरागढ़, पट्टाधारक के अनुरोध पत्र दिनांक 11.9.2017 में उल्लिखित अस्वस्थता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-14 के प्रावधानानुसार श्री निर्मल कुमार लोहिया, पट्टाधारक के पक्ष में शासनादेश संख्या-1649/VII-1/117-ख/2015, दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 द्वारा जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडिहाट के ग्राम डोडा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.466 है० नाप भूमि में स्वीकृत उपखनिज रेता, बजरी एवं बोल्डर के खनन पट्टे का पट्टा विलेख निष्पादन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव

संख्या- 1012 (1) / VII-1 / 2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव